सरपंच बनाम राज0 सरकार
प्रा0पत्र सं0 46 / 24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 46 / 2024 दायर तारीख :– 12.08.2024

1. सरंपच ग्राम पंचायत रामजीपुरा कलां तहसील कि0रेनवाल
2. ग्राम विकास अधिकारी,ग्राम पंचायत रामजीपुरा कलां तहसील कि0 रेनवाल

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामजीपुरा कलां तहसील कि0 रेनवाल
2. तहसीलदार तहसील कि0 रेनवाल

अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री लक्ष्मणसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण
राज पेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 एल0आर0ऐक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक : 31/10/25

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 248/72 रकबा 0.2529 है.मु स्थित है जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु राजकीय भवनो हेतु आरक्षित भूमि है। जो ग्राम पंचायत के अधीन भूमि है जिस पर ग्रामं पंचायत भवन पटवार भवन ग्राम सेवक भवन बने हुये है । शेष भूमि खाली पडी हुई है। उक्त आराजीयात के उत्तर की भूमि करीबन 700 वर्गगज भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय ने अपने कब्जे मे ले रखी है। तथा उस पर दिवार का निर्माण कर रखा है जो सहवन से कर लिया गया। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 72 की भूमि राजकीय प्राथमिक विधालय रामजीपुरा कंला मे मर्ज हो गयी है। खसरा नंबर 72 में से पूरब दिशा की भूमि लगभग 700 वर्गगज भूमि पंचायत के कब्जे में है जो कि वर्षो से है। जिस पर ग्राम पंचायत रामजीपुरा कंला द्वारा पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है। खसरा नंबर 248/72 की भूमि राजस्व रिकोर्ड मे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजकीय भवनो हेतु आरक्षित है जिसमें राजकीय भवन बने हुये है । परन्तु उक्त भूमि मे से 700 वर्गगज की भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय रामजीपुरा कंला के कंब्जे में होने के कारण उस पर कोई निर्माण कार्य राजकीय भवन हेतु नही किया जा सकता है। उसी प्रकार खसरा नंबर 72 जो कि विधालय के नाम से है उस भूमि मे से 700 वर्गगज की भूमि पंचायत के शुरू से ही कब्जे में होने के कारण उस पर स्कूल द्वारा कोई निर्माण कार्य नही किया जा सकता परन्तु मौके पर देखे तो खसरा नंबर 248/72 की भूमि 700 वर्गगज जो उक्त रकबे में कम पड रही है। वह भूमि स्कूल द्वारा खंसरा नंबर 72 में से पंचायत को दे दी गई । जिस पर स्कूल को कोई आपत्ति नही हैं इसी प्रकार खसरा नंबर 248/72 में जो भूमि पंचायत के पास है उस पर ग्राम पंचायत को भी कोई आपत्ति नही है। क्योकि उन्होने खसरा नबर 72 में से 700 वर्गगज भूमि राजकीय भवनो हेतु स्कूल से ले ली है। कि अब चूकिं खसरा नबर 72 में पंचायत द्वारा नये पंचायत का निर्माण किया जा रहा है जो कि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

निर्माणधीन है जिसके संम्बन्ध में स्कूल की भूमि पर कोई अतिक्रमण न होने बाबत प्राधानाचार्य द्वारा दिनांक 29/02/2024 को लिखित में प दिया गया है कि स्कूल की भूमि का जो राजस्व रिकोर्ड के अनुसार कुल क्षेत्रफल 0.5058 है0 कुल 2 बीघा है। उक्त भूमि वर्तमान में नाप चौक करने के बाद सम्पूर्ण भूमि स्कूल के पास में है। यानि की स्कूल के कब्जे मे है तथा जिस पर पंचायत द्वारा निर्माण किया जा रहा है वह भूमि 5058 वर्गमीटर के अतिरिक्त इस प्रकार पंचायत द्वारा खसरा नंबर 72 में निर्माण कार्य करने से स्कूल को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही हैं। इसी प्रकार खसरा नबर 248/72 में जो भूमि है वह राजकीय भवनो हेतु आरक्षित है तथा अगर उक्त भूमि खसरा नंबर 248/72 व खसरा नंबर 72 में निर्माणधीन पंचायत की भूमि की नाप चौक की जावे तो दोनो बराबर है। इसलिए खसरा नंबर 72 में से पंचायत के कब्जे में जो भूमि है उसे पंचायत के नाम करने मे कोई वैधानिक बाधा नही है इसी प्रकार खसरा नंबर 248/72 की भूमि यदि स्कूल के नाम की जाती है पंचायत को कोई आपत्ति नही है इसी प्रकार खसरा नंबर 72 के राजस्व नक्शे में शुद्वि कर उसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है तथा खसरा नंबर 248/72 के राजस्व नक्शे में भी शुद्वि किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र के साथ ट्रेस नक्शा संलग्न किया जा रहा है जिसमें मार्क ए.बी.सी. डी. की भूमि को ग्राम पंचायत के नाम किया जाना आवश्यक है। तथा इसी प्रकार मार्क ई.एफ.जी.एच की भूमि स्कूल के नाम दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर विद्यालय के पास राजस्व रिकोर्ड में अतिरिक्त भूमि का स्थानान्तरण करने के कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार कि0 रेनवाल से जवाब प्राप्त हुआ है। जिसमें अंकित किया कि ग्राम रामजीपुरा कला के खसरा नंबर 248/72 रकबा 0.2529 है0 किस्म गै0मु0 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजकीय भवनों हेतु आरक्षित व खसरा नम्बर 72 रकबा 0.5058 है0 किस्म गै0मु0रा.प्रा.विद्यालय रामजीपुरा कलां के नाम दर्ज रिकोर्ड है, जो खसरा नंबर 72 रकबा 0.5058 है0 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आंवटन करने पर रामजीपुरा कलां के नामान्तकरण संख्या 293 आंवटन दिनांक 06.01.2006 से रा.प्रा.विद्यालय रामजीपुरा कला व खसरा नंबर 248/72 रकबा 0.2529 है0 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आंवटन करने ग्राम पंचायत रामजीपुरा कला के नामान्तकरण संख्या 416 दिनांक 09.12.2013 से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजकीय भवनों हेतु का राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हुआ।

3. प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौराने वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मुतबिक प्रार्थना पत्र के अनुतोष खसरा नम्बर 72 के राजस्व नक्शें में दुरूस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र के सलंग्न नक्शें के मार्क ए0बी0सी0डी0 की भूमि को राजकीय भवनों हेतु प्रयोजनार्थ राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्त किया जाकर राजकीय भवन के नाम किये जाने की व खसरा नम्बर 248/72 की भूमि सलंग्न नक्शें में मार्क ई0एफ0जी0एच0 की भूमि को राजस्व नक्शें में दुरूस्त किया जाकर

अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

राजस्व रिकोर्ड में स्कूल के नाम किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 72, 248/72 , जमाबन्दी खसरा नम्बर 248/72 , प्रमाणित फोटो प्रति की छायाप्रति पेश की।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एंव प्रार्थी की बहस पर मनन किया। यहा पर सुसंगत विधिक प्रावधान राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का उल्लेख आवश्यक है जिसके अनुसार **"136 Correction of error :- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register , or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Registe :Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be Corrected unless a notice to show cause has been given to the parties "**

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है कि भू अभिलेख की त्रुटियों को हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर तथा रिकोर्ड निरीक्षण के दौरान राजस्व अधिकारी स्वंय द्वारा सुधार किया जा सकता है। बशर्ते प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाए।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर हाल राजस्व नक्शे में त्रुटि की पुष्टि हो सके । प्रार्थीगण द्वारा केवल कब्जे के आधार पर राजस्व नक्शें में दुरूस्ती का अनुतोष चाह गया है। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार द्वारा भी राजस्व नक्शें मे त्रुटि संबंधी कोई कथन नहीं किया गया है। धारा 136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू–अभिलेखों में त्रुटि होने पर ही सुधार किया जाता है। कब्जे के आधार पर भू–अभिलेखो में धारा 136 के तहत संशोधन विधि सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित एवम् न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम दस्तावेजो से साबित नहीं होने एंव सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो

निर्णय आज दिनांक 31/10/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सर्वेश शर्मा (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल